**संख्याः 158 /VII-A-2/2020/35 -सिडकुल/2018**

प्रेषक,

मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग,

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,

पटेल नगर, देहरादून।

**औद्योगिक विकास अनुभाग- 2 देहरादूनः दिनांकः फरवरी, 2020**

**विषयः- लेखाशीर्षक-2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00- 101-औद्योगिक क्षेत्र, 02- मेगा टैक्सटाईल पालिसी-2014, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता योजना में प्रथम अनुपूरक अनुदान से स्वीकृत धनराशि के पुनर्विनियोग की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्रांक-4730/उ0नि0(दो)-28/बजट/ पु0वि0/सिडकुल/2019-20, दिनांक 25.01.2020 के क्रम में वित्तीय वर्ष सिडकुल के नियंत्रणाधीन योजना के अनुदान संख्या-23 लेखाशीर्षकः- 2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00- 101-औद्योगिक क्षेत्र, 02- मेगा टैक्सटाईल पाॅलिसी-2014, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता योजना में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र) का प्राविधान स्वीकृत हुआ है में से वित्त नियंत्रक, राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) के पत्रांक- 3193, दिनांक 23.01.2020 द्वारा उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई धनराशि प्राविधानित न होने के कारण रू0 2337.00 लाख (रूपये तेईस करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की देयता लम्बित हो गई है के फलस्वरूप भुगतान हेतु लेखाशीर्षक-2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-, 101-औद्योगिक क्षेत्र, 02-मेगा इण्डस्ट्रीयल पालिसी-2015, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता योजना में रू0 2337.00 लाख (रूपये तेईस करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की देयता के लम्बित भुगतान हेतु 02-मेगा इण्डस्ट्रीयल पालिसी-2015 की लम्बित देयताओं की प्रतिपूर्ति लेखाशीर्षकः- 2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-, 101-औद्योगिक क्षेत्र, 02-मेगा टैक्सटाईल पालिसी-2014, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता योजना में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र) में से रू0 2337.00 लाख (रूपये तेईस करोड़ सैंतीस लाख मात्र) का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक- 2851- ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00- 102-लघु उद्योग, 49-विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता में प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-एक) के अनुसार किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

2. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड, बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

3. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि पुनर्विनियोग के माध्य से स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। **शेष पृष्ठ 2 पर**

-2-

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः-254/3(150)-2017/XXVII(I)/2019, दिनांक 29.03.2019 में इंगित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण, लाभार्थियों की सूची तथा लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का जनपदवार विवरण माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा और लाभार्थियों के वेरिफिकेशन की समस्त जिम्मेदारी महानिदेशक, उद्योग की होगी तथा सभी लाभार्थियों की डिटेल बेवसाइट पर अपलोड की जायेगी।

6. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाये ताकि पुनर्विनियोजित धनराशि में समर्पण की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

7. वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखा शीर्षक-2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-, 102-लघु उद्योग, 49-विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान की मानक मद-20-अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-987/XXVII(2)/2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-एक) एवं आई0डी0

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।

**पृष्ठाकंन संख्याः 158 (1)/VII-A-2/2020/35 -सिडकुल/2018 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक, राज्य अवस्थापना एंव औद्योगिक विकास निगम लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।